फर्द अहकाम

नाम न्यायालय — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी
बाबूलाल — बनाम — अप्रार्थीगण
कमला व अन्य

केस संख्या 155/24 (2024/ online number) — प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.09.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या है, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये विवादित आराजी खसरा नम्बर 319/121, 337/116, 350/113 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5931 है0 वाके ग्राम कानडवास पटवार हल्का बूड़थल भू–अभि0.नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षकारान को आगामी तारीख पेशी दिनांक 24/09/24 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। वकील प्रार्थी तलबाना आज ही पेश करें। बाद जाँच सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, सम्मन भेजकर डाक रसीद पेश करें। पत्रावली पुनः दिनांक 24/09/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
	24/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर नोटिस पेश किये। रजि. नोटिस जारी बाद जाँच जारी होकर पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी हेतु दिनांक 29/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (मुहर: उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर)	
	29/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने रजि. तामील डाक रसीद की दिलीप प्रतियां पेश की जिन्हें शामिल पत्रावली करके पत्रावली दिनांक 17/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (मुहर: उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

बाबूलाल बनाम कमला

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/7/25	पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गई, बावजूद हाजिर नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उक्त प्रा०पत्र को अग्रसर नहीं चलाना चाहते है। अतः उक्त प्रा०पत्र अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/7/25 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	